

From,

Dr. Anil Kumar Singh-II,
Additional District and Sessions Judge,
Court No. 6, Farrukhabad.

To,

The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

Through,

The District Judge,
Farrukhabad.

Subject: Regarding one advance increment on acquiring for possessing Ph.D. degree in law in view of the G.O. No.-140/2-4-2024-45 (1) / 2020 T.C.- Appointment Section- 4, Lucknow dated: 28 February, 2024

Respected Sir,

Most respectfully, I wish to state on the above subject that I was awarded the degree of Ph.D. in law by A.M.U., Aligarh in year 2013.

It is further submitted that on recommendations of the Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) and in view of the directions passed by Hon'ble Supreme Court of India on 04.01.2024 in **Writ Peition (Civil) No. 643/2015 in All India Judges Association V. Union of India**, the Government of Uttar Pradesh has issued the above mentioned G.O. [9(a) Higher Qualification Allowance] regarding one advance increment to the judicial officers having Ph.D. degree in law.

I, therefore, very humbly request you to kindly place my request before the Hon'ble Court so that I may get one advance increment from 20.08.2013 to 17.10.2015 in the scale (27700-44700), from 17.10.2015 to 31.12.2015 in the scale (39530-54010), from 01.01.2016 to 21.08.2019 in the scale (111000-163030) and from 22.08.2019 to till date in the scale (144840-194660),

I shall be highly obliged to the Hon'ble Court for its kind consideration.

With regards.

Yours faithfully

Anil Kumar Singh 09.07.2024
(Dr. Anil Kumar Singh-II)

Additional District and Sessions Judge,
Court No.6, Farrukhabad
JO Code No. UP1535

Enclosures:

1. Government Order dated 28.02.2024
2. Copy of degree of Ph.D.

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,

मा० उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2024

विषय:-द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा सेवारत न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं पेंशन-भोगियों हेतु की गयी भत्ते से संबंधित संस्तुतियों के संबंध में रिट याचिका (सिविल) संख्या- 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

सुसंगत संदर्भ:-

विषयगत प्रकरण से संबंधित प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में जारी किये गये पूर्व शासनादेशों का विवरण-

- (1) शासनादेश सं०- 6058/दो-4-05-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 07.07.2006
- (2) शासनादेश सं०- 5207/दो-4-06-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 27.07.2006
- (3) शासनादेश सं०- 35/दो-4-08-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 08.01.2008
- (4) शासनादेश सं०- 930/दो-4-08-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 11.04.2008
- (5) शासनादेश सं०- 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 13.05.2009
- (6) शासनादेश सं०- 4458/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी.1, दिनांक 28.01.2010
- (7) शासनादेश सं०- 793/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 30.04.2010
- (8) शासनादेश सं०- 1420/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 31.05.2010
- (9) शासनादेश सं०- 2123/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 16.10.2010
- (10) शासनादेश सं०- 2123(2)/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 16.10.2010
- (11) शासनादेश सं०- 2123(4)/दो-4-2010-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 16.10.2010
- (12) शासनादेश सं०- 2977/दो-4-10-45(12)/91 टी.सी.-6, दिनांक 04.11.2010
- (13) शासनादेश सं०- 8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 13.04.2018
- (14) शासनादेश सं०- 914/दो-4-2018-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 10.08.2018
- (15) शासनादेश सं०- 361/दो-4-2021-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 31.08.2021
- (16) शासनादेश सं०- 50/दो-4-2022-45(12)/91 टी.सी., दिनांक 16.02.2022

- (ख) बिजली और जल के बिलों की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक आधार पर बिल भुगतान की रसीद प्रस्तुत किये किये जाने पर की जायेगी।
- (ग) यह भत्ता दिनांक 01.01.2020 से बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य होगा।

9. उच्च योग्यता भत्ता

- (क) न्यायिक अधिकारियों को उच्च योग्यता अर्थात् कानून में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी तथा कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने पर एक और अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी।
- (ख) कानून में स्नातकोत्तर डिग्री या डॉक्टरेट के लिए एक बार अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के उपरान्त यदि भविष्य में किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की जाती है तो दुबारा कोई अग्रिम वेतन वृद्धि दिया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- (ग) उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां उन न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने भर्ती से पहले या भर्ती के बाद सेवा में रहते हुए किसी भी समय पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री या डॉक्टरेट उपाधि हासिल की हो।
- (घ) यदि न्यायिक अधिकारी ने भर्ती के पहले ही स्नातकोत्तर डिग्री या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली है तो प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से तथा यदि सेवा में शामिल होने के बाद स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट उपाधि अर्जित की है, तो स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने की तारीख से उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां देय होगी
- (ङ) न्यायिक अधिकारियों को उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां उपलब्ध कराई जायेंगी यदि उनके द्वारा उच्च योग्यता नियमित अध्ययन (पूर्णकालिक या अंशकालिक) के माध्यम से या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से हासिल की गयी हो।
- (च) उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ एसीपी स्तर (एसीपी I या II) पर भी देय होगा। सिविल जज (जूनियर डिविजन) से सिविल जज (सीनियर डिविजन) और सिविल जज (सीनियर डिविजन) से जिला जज कैडर पर पदोन्नति के समय भी उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ अनुमन्य होगा।
- (छ) इसी प्रकार जिला न्यायाधीश संवर्ग में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) से जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) और जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) से जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) में उन्नयन के समय भी अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ अनुमन्य होगा।
- (ज) सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां वेतन का हिस्सा होगी और महंगाई भत्ता उसी पर देय होगा।

10. पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थाना भत्ता

- (क) पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थान में नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को 5000/- रुपये प्रतिमाह की दर से पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थान भत्ता अनुमन्य होगा।
- (ख) उक्त भत्ता दिनांक 01.01.2016 से देय होगा।
- (मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थान के रूप में वर्गीकरण योग्य स्थानों का निर्धारण किये जाने पर)

Ph.D./11/ N^o 001690

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَالِكِيَّة



عِلْمٌ لَأَنْبِيَا

Doctor of Philosophy

This is to certify

that *Anil Kumar Singh*,
Enrol. No. *DD 5827*, has been awarded
the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.)
in *Law*
of this University for the year *2013*.

*Self attested
Anil Kumar Singh
08-07-2013*

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH - 202 002 (INDIA)

Zameer Habib
Vice-Chancellor

Date of issue 20.08.2013